राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–5192260 E-mail: modelschoolest@gmail.com

RCSE

पढ़े चलो, बढ़े चलो

क्रमांकःरामाशिप / जय / मॉडल स्कूल–संस्थापन / 2016–17 / फा. साक्षा.पी. 3 / 5100 दिनांकः 22.06.2018

मॉडल स्कूलों में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक पदों पर प्रतिनियुक्ति तथा साक्षात्कार हेतु आवश्यक मानदण्ड / दिशानिर्देश एवं शर्तें

राजस्थान में मॉडल स्कूल योजना के संचालन हेतु वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक पद पर प्रतिनियुक्ति तथा साक्षात्कार हेतु आवश्यक शर्तें / मानदण्ड एवं दिशानिर्देश निम्नलिखित अनुसार होंगेः–

आवश्यक निर्देश :–

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम प्रतिनियुक्ति हेतु मान्य होंगे।
2. प्रतिनियुक्ति के लिए केवल **राजकीय सेवा** में **माध्यमिक शिक्षा विभाग** में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक / सहायक कार्यालय अधीक्षक एवं कनिष्ठ लिपिक जिन्होंने सम्बन्धित पद पर न्यूनतम एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो वे ही क्रमशः वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक हेतु आवेदन कर सकते हैं। **वर्तमान में किसी भी विभाग में प्रतिनियुक्त कार्मिक आवेदन नहीं कर सकते हैं।**
3. **अभ्यर्थी अधिकतम दो जिलों के लिए आवेदन कर सकेंगे।**
4. अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित / लम्बित नहीं होनी चाहिए।
6. अभ्यर्थी आवेदन पत्र www.rajrmsa.nic.in की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा परिषद मुख्यालय / जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
7. आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर आवेदन पत्र पर अपना हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर साक्षात्कार स्थल पर साक्षात्कार वाले दिन दोपहर 12.00 बजे तक अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर जमा करवाना होगा, दोपहर 12.00 बजे बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, योग्यता सेवा आदि से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ लगानी होगी।
9. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण–पत्र लेकर आना होगा। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में साक्षात्कार निरस्त किया जा सकता है।
10. आवेदन पत्रों की छानबीन, शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। निजी विद्यालयों द्वारा प्रदान किया गया किसी प्रकार का अनुभव मान्य नहीं होगा।
11. चयनित अभ्यर्थियों को वेतन एवं भत्ते उनके विद्यमान वेतन श्रृंखला पर ही देय होंगे। नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।
12. आवेदन पत्र में अथवा उनके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में से किसी भी प्रमाण पत्र में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन किसी भी समय निरस्त कर उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
13. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा।
14. अभ्यर्थी एक ही संभाग में एक से अधिक ब्लॉक्स के लिए भी आवेदन कर सकता है, इसके लिए उन्हें केवल एक बार ही साक्षात्कार देना होगा।
15. साक्षात्कार के लिए आने वाले अभ्यार्थियों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की तरफ से किसी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ता / उपस्थिति प्रमाण–पत्र देय नहीं होगा।
16. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी / वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता व अनुभव के अतिरिक्त निर्धारण मापदण्ड निम्नानुसार है :–

www.rajteachers.com

- उच्च माध्यमिक/स्नातक स्तर (जैसी भी स्थिति हो) पर अनिवार्य अंग्रेजी के अध्ययन के साथ–साथ अंग्रेजी में लिखने और बोलने की क्षमता।
- राजस्थान, भारत एवं विश्व सम्बन्धी सामान्य ज्ञान।
- कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रजी में टंकण, इन्टरनेट/ ई–मेल का प्रयोग, डाटा संग्रहण एवं स्थानान्तरण, वर्ड/ एक्सल/ पॉवर पाईन्ट आदि में क्षमता।
- अपने विषय/जॉब की पूर्ण जानकारी।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ।

18. वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक हेतु शैक्षिक प्रशेक्षिक योग्यता व अन्य अनुभवों के लिए निम्नानुसार अंक निर्धारण किया गया है।

निर्धारण किए गए अंक

क्र.सं.	शैक्षिक/प्रशैक्षिक व अन्य योग्यता	निर्धारण किए गए अंक		
		प्रथम श्रेणी/ डिग्री	द्वितीय श्रेणी/ डिप्लोमा	तृतीय श्रेणी
1	सैकण्डरी	3	2	1
2	सीनियर सैकण्डरी	2	1	0.5
3	कम्प्यूटर टंकण में विशेष डिग्री/ डिप्लोमा	10 (डिग्री)	5 (डिप्लोमा)	–
4	टंकण गति (हिन्दी)	न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनिट 10	मापदण्डों से कम होने पर 5	–
5	टंकण गति (अंग्रेजी)	न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनिट 15	मापदण्डों से कम होने पर 10	–
	कुल अंक	40		
	साक्षात्कार के अंक	60		
	महायोग	100		

19. साक्षात्कार हेतु कुल 60 एवं अन्य योग्यता हेतु कुल 40 अंकों का निर्धारण किया गया है।

जयपुर
दिनांक / /2017

(आभा बेनीवाल)
उपायुक्त–द्वितीय
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. उपनिदेशक/सहायक निदेशक (मॉडल स्कूल), रामाशिप., जयपुर को देकर लेख है कि उक्त शर्तें को आवेदन के प्रारूप के साथ संलग्न कर परिषद की उक्त वर्णित वेबसाइट पर अपलोड करावें।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सम्बन्धित जिलों को प्रचार–प्रसार हेतु तथा अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न हेतु।
3. संबंधित अभ्यर्थी..।
4. नोटिस बोर्ड, रामाशिप., जयपुर।

www.rajteachers.com

उपायुक्त–द्वितीय
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर